


mf
23/1/26

27/01/26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। स्वयं
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार क्लक-क्लक अधाज
लगाई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः
प्रकरण को O.R.8 CPC अधिनियम दायरी अधिनियम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद
तामील दाखिल दफ्तर हो।

~~27/01/26~~



27/01/26

उपखण्ड अधिकारी

पिप्लो, जिला न्यायालय, जयपुर (राजस्थान)